न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 204/2018

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1जयप्रकाश पुत्र बुधाराम (फौत) के कायममुकामान 1/1 जानकी बेवा जयप्रकाश 1/2 हुक्माराम पुत्र जयप्रकाश 1/3 नाथी पुत्री जयप्रकाश 1/4 कृष्णा पुत्री जयप्रकाश 2रूपाराम पुत्र बुधाराम जातियान कुम्हार निवासीगण मुण्डवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1सुशीला देवी पत्नी रामपाल जाति कुम्हार निवासी पडासला खुर्द तहसील बिलाडा जिला जोधपुर। 2रामपाल पुत्र अमराराम जाति कुम्हार निवासी पडासला खुर्द तहसील बिलाडा जिला जोधपुर बहेसियत आम मुख्तियार – 2/1धर्माराम पुत्र हरीराम 2/2पूनकी पत्नी पूनाराम 2/3नेनाराम 2/4मुकेश 2/5वीराराम 2/6रामरतन 2/7मनसुख पुत्रान पूनाराम 2/8भंवरी पत्नी संग्राम 2/9गोविन्दराम पुत्र संग्राम 2/10शारदा पुत्री संग्राम सभी जाति कुम्हार निवासीगण मुण्डवा तहसील मुण्डवा। 3तहसीलदार मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से।
3. श्री बाबू लाल भादू अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 की ओर से।
4. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से।

दिनांक 04-10-2022

निर्णय

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3367 दिनांक 23.03.2018 स्वीकार करने के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.09.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 17.09.2018 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 व 2 की ओर से श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 की ओर से श्री बाबू लाल भादू अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश नामान्तरकरण सं. 3367 की फोटोप्रति, खतौनी की फोटोप्रति, नकल हेतु आवेदन की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर मे प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के फर्द अहकामात की फोटोप्रति, आम मुख्त्यारनामा की फोटोप्रति पेश की गई। अपील के विचाराधीन रहते हुए वकील श्री कन्हैयालाल सुथार ने एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 22 नियम 3 सीपीसी अपीलांट जयप्रकाश का निधन हो जाने से उनको कायममुकाम को पक्षकार जोडे जाने बाबत् दिनांक 18.12.21 पेश कर साथ ही इनके कायममुकाम का वकालतनामा पेश किया जिसपर वकील रेस्पोडेन्ट ने अनापति जाहिर की, जिससे स्व. जयप्रकाश के कायम मुकाम जानकी बेवा जयप्रकाश, हुक्माराम पुत्र जयप्रकाश, नाथी पुत्री जयप्रकाश तथा कृष्णा पुत्री जयप्रकाश जातियान कुम्हार निवासीगण मुण्डवा तहसील मुण्डवा बतौर पक्षकार अपीलांट्स रेकर्ड पर लिया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 13.08.18 को मनीराम पुत्र बीरमाराम जाट मुण्डवा ने बताया कि तुम्हारे बाबा सीताराम की जमीन का म्यूटेशन परसाराम को गोद पुत्र बताकर कर दिया है, जिस पर उसी दिन अपीलांट रूपाराम ने पत्रावली की जानकारी कर तहसीलदार मुण्डवा मे नकल की अर्जी की, तो फैसला की नकल दी गई, जबकि पूरी पत्रावली की नकल मांगी थी। शेष पत्रावली की नकले नही देने पर जिला कलक्टर नागौर को अर्जी दिनांक 20.08.18 को दी तथा दिनांक 21.08.18 को पटवारी से खतौनी की नकल ली, तो खतौनी की नकल देखने पर सर्वप्रथम जेर अपील की नकल के लिये दिनांक 04.09.18 को अर्जी पेश की, नकल दिनांक

अपर कलक्टर, नागौर

05.09.18 को प्राप्त हुई। इस प्रकार म्यूटेशन जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.08.18 को हुई, ऐसी दशा मे अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की है। अपीलाधीन आदेश म्यूटेशन विधि विरूद्व होने से समयावधि से बाधित नही है, ऐसी दशा मे भी अपील अंदर मियाद शुमार योग्य है। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–म्यूटेशन जैर अपील तथ्यो व विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)–वादग्रस्त खेताय खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 मौजा मुण्डवा के बाबत बंटवाडा घोषणा खातेदारी आदि का वाद अपीलांटस द्वारा किया हुआ वाद सं. (115/09) 156/16 सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर के न्यायालय मे लंबित है, जो सन 2009 से चल रहा है वाद लंबित रहने के दौरान किसी पक्षकार को कोई भूमि विक्रय करने का भी हक नही है, यदि विक्रय किया जाता है तो वाद के फैसला से क्रेता बाधित रहेगा, ऐसी दशा मे दौराने दावा राजस्व रेकर्ड मे परिवर्तन कराने व क्रयसुदा भूमि का नामान्तरकरण कराने का कोई अधिकार पक्षकारो को नही है। प्रकरण हाजा मे रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने आम मुख्त्यार पक्षकारान की हेसियत से वादग्रस्त खेतो का 4/21 हिस्सा का बेचान अपनी पत्नी रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष मे कराया है, जबकि इस भूमि के बंटवाडा का वाद चल रहा है, उक्त वाद मे पक्षकार विक्रेतागण का कितना हिस्सा होना है, कितना हिस्सा कोर्ट तय करेगी, उसी अनुसार हक तय होना है, उक्त वाद के लंबित रहने के दौरान किये गये बेचान के आधार पर भरा गया म्यूटेशन से राजस्व रेकर्ड मे कोई हेरा फेरी कर देने से अनावश्यक रूप से झगडे फिसाद होने की स्थिति पैदा होगी। वादग्रस्त सम्पति का नियमित राजस्व वाद चल रहा है, वाद लंबित रहने के दौरान राजस्व रेकर्ड मे ऐसे बेचान के आधार पर म्यूटेशन जैर अपील स्वीकार कर किया गया राजस्व रेकर्ड मे बदलाव विधि विरूद्व है, ऐसी दशा मे म्यूटेशन जैर अपील निरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड पूर्ववत बहाल किया जाना न्यायोचित है।

{2}(III)–प्रकरण हाजा का रेस्पोडेन्ट सं. 2 को अच्छी तरह से जानकारी है कि वादग्रस्त खेताय बाबत दावा चल रहा है, जवाब दावा स्व. रामपाल के आम मुख्त्यार की हेसियत से पेश किया है तथा तमाम तथ्य जानते हुए उसने बदनियति से अनावश्यक ढंग से मुकदमेबाजी बढाने की नियत से यह बेचान अपनी पत्नी के नाम कराया है। वाद के लंबित रहने के दौरान म्यूटेशन जैर अपील के जरिये किया गया राजस्व रेकर्ड मे फेरबदल कराने का रेस्पोडेन्टस को कोई हक अधिकार नही था, ऐसी दशा मे म्यूटेशन जैर अपील दौराने दावा भरा गया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांटस का दावा मे हक तय होने अभी वाद मे शेष है, दौराने दावा बेचान के आधार पर म्यूटेशन जैर अपील भरा जाकर रिकार्ड मे तब्दीली कर किसी बाहुबली को बेचान कर देने से फिर उसके नाम म्यूटेशन भरकर मौके पर दंगा फिसाद व झगडे बढाने की छूट देने जैसी स्थिति पर अंकुश लगाने हेतु भी म्यूटेशन जैर अपील निरस्त किया जाना न्याय हित मे है तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी का भी बढावा देने से रोकने के लिये म्यूटेशन जैर अपील को निरस्त किया जाना न्यायहित मे है, ऐसी दशा मे अपीलाधीन म्यूटेशन को अपास्त किया जावे।

{2}(V)–म्यूटेशन जैर अपील की कार्यवाही के दौरान अपीलांटस को कोई नोटिस नही दिया, न ही अपीलांटस को पक्षकार बनाया, न ही अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिया। अपीलांटस को स्व. सीताराम की सम्पति को उतराधिकार के जरिये प्राप्त करने का दावा कर रखा है जो अभी लंबित है ऐसी दशा मे अपीलाधीन म्यूटेशन से अपीलांटस के हको पर विपरीत प्रभाव पडा है, ऐसी दशा मे अपीलांटस ने अपील पेश की तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2011 (2) पेज 907 से 912, आरआरटी 2009 (2) पेज 816 से 818 तथा आरआरडी 1994 पेज 77 से 79, आरआरटी 2012(2) पेज 1412 से 1417 व आरआरटी 2003(1) पेज 47 से 54 नजीरे पेश की।

{3}–रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि –

{3}(I)–अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील विधि के प्रावधानो के विपरीत एवं बिना प्रावधान के तहत की गई है। क्योकि नामान्तरकरण अपील जिला कलक्टर / अपर जिला कलक्टर के पास तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्व धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की जाती है जबकि अपीलांटस द्वारा

अपर कलक्टर, नागौर

उपरोक्त अपील धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है जिसमे ऐसी अपील पेश करने का कोई प्रावधान नही है। इसलिये प्रथम दृष्टया अपीलांटस की अपील चलने योग्य नही होने से खारिज फरमायी जावे।

{3}(II)–अपीलाधीन नामान्तरकरण मे विवादित खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा जो अपीलांटस व दीगर रेस्पो. व अन्य की खातेदारी मे रहते चले आये है। उक्त खसरे नामान्तरकरण से पूर्व बुधाराम, सीताराम व हरीराम पिता गंगाराम की खातेदारी मे रहते चले आये थे तथा इस तरह की वंशावली राजस्व वाद सं. 115/09 सहायक कलक्टर एसडीओ नागौर तत्पश्चात सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर वाद सं. 156/16 जो धारा 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया जो अपीलांटस द्वारा पेश किया उस हिसाब से भी 1/3 हिस्सा सीताराम का, 1/3 हिस्सा बुधाराम व 1/3 हिस्सा हरीराम का तथा उसी हिसाब से बाद मे उपरोक्त व्यक्ति फोत होने पर विरासत मे फोतगी नामान्तरकरण के जरिये उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई जो अपीलांटस व रेस्पो. है अपने हिस्से का उसी अनुसार वारिस से फोतगी नामान्तरकरण व विक्रय किये गये विक्रय पत्रो के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो विधि सम्मत होने से अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने का कोई कानूनी अधिकार नही होने से अपील खारिज की जावे।

{3}(III)–अपीलांटस द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत राजस्व वाद के जवाब मे अपीलांटस द्वारा प्रतिदावा खसरा नं. 881, 882, 897 मौजा मुण्डवा व खसरा नं. 4449 मौजा खेण मे संयुक्त खातेदारी होना बताकर 1/3 हिस्से के अनुसार वाद पेश कर अनुतोष चाहा जिस पर अपीलांटस की ओर से जबाबुल जवाब पेश किया जिसमे अपीलांटस द्वारा उक्त खसरान की भूमि को संयुक्त व पैतृक भूमि नही माना है तथा अलग अलग खातेदारी की भूमि व अलग अलग कब्जा काश्त की भूमि मानकर प्रतिवाद का जवाब पेश किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांटस का वाद प्रतिवाद का जवाब व अपील मे तीन तरह का अभिवचन किया गया है। इसलिये अपीलांटस के अभिवचनो तथा अपील के आधारो पर विश्वास नही किया जा सकता है। अपीलांटस अपने अपील का हित साधने की नीयत से दावा प्रतिदावा का जवाब के विपरीत कथन किये गये होने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(IV)–म्यूटेशन जैर अपील हरीराम के फोत होने पर उनकी पत्नी जेठी पुत्र पूनाराम पुत्र संग्राम के नाम भरा गया वप तहसीलदार द्वारा दिनांक 6.11.17 को स्वीकृत किया गया। फोतगी नामान्तरकरण भरने मे किसी प्रकार की कोई अन्य सहखातेदार को सूचना देना व उसको सुनना आवश्यक नही होता है तथा उनके वारिसो के नाम भरा जाता है जबकि अपीलांट इनका कोई वारिस नही है अन्य भाई का पुत्र है इसलिये अपीलांट को इस तरह की अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है।

{3}(V)–फोतगी नामान्तरकरण जो कि हरीराम के वारिसो के नाम भरा गया है वो उसके नाम के स्थान पर उनके वारिस प्रतिस्थापित हुए है उससे किसी अन्य सहखातेदार का कोई हिस्सा प्रभावित नही होता है न ही किसी विचाराधीन वाद मे इसका प्रभाव पडेगा इसलिये अपीलांट की अपील इस आधार पर चलने योग्य नही होने से खारिज की जावे।

{3}(VI)–फोतगी नामान्तरकरण या बेचाननामा के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण उसी व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित होता है उसे किसी व्यक्ति का हिस्सा प्रभावित नही होता है न ही राजस्व रेकर्ड मे किसी प्रकार की कोई तब्दीली होती है तथा हिस्सा व खातेदारी घोषणा तथा बंटवाडे का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय मे विचाराधीन है जो अपीलांट का स्वीकार सुदा तथ्य है तथा हिस्सा तय करना बंटवाडा करना, खातेदारी घोषणा करना तमाम अनुतोष न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय द्वारा तय होगा तथा वाद विचाराधीन अपीलो से पहले चल रहा है ऐसी स्थिति मे अपील मे किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित नही है। क्योकि अपीलांट ने अपना हिस्सा होना बताया है तथा ऐसा हिस्सा न्यायालय हाजा तय नही कर सकता है। अपील केवल समरी ट्रायल होती है। दौराने वाद अपील पेश की है। इसलिये उक्त अपील चलने योग्य नही है न ही दौराने वाद नामान्तरकरण अपील मे कोई आदेश पारित किया जाना राजस्व मंडल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिपादित सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपील मे किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया जाना चाहिये तथा अपील की सुनवायी रोक देनी चाहिये या उसको खारिज किये जाने का ही सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है। इस आधार पर अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(VII)–अपीलांटस उपरोक्त नामान्तरकरण की अपीलो मे किसी प्रकार से हितबद्व व हिस्सेदार व प्रभावित पक्षकार नही है। अपीलांटस ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर

अपर कलक्टर, नागौर

अपीले प्रस्तुत की है। जबकि धारा 96 के आधार पर मूल डिक्री की अपील पेश की जाती है। जबकि अपीलाधीन आदेश एक आदेश की श्रेणी मे आता है डिक्री की श्रेणी मे नही आता है। आदेशो के विरूद्व अपील पेश करने के लिये 104 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया जाता है। उपरोक्त प्रावधान का विवेचन करने से स्पष्ट है कि अपीलांटस की अपील बिना कानून के बिना आधार के कानून विपरीत पेश की गई होने से चलने योग्य नही है। प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(VIII)–अपीलांटस तीन भाई है। जयप्रकाश, रूपाराम व भंवरलाल पुत्रगण बुधाराम अपीलांटस अपने आपको अपीलाधीन आदेशो की खसरान की भूमि का हितबद्व हिस्सेदार व प्रभावित पक्षकार मानकर अपील पेश की गई हैं जबकि अपने सगे भाई भंवरलाल को पक्षकार नही बनाया गया है। अगर अपीलांटस इसमे हितबद्व पक्षकार है तो उसका भाई भंवरलाल आवश्यक व हितबद्व पक्षकार है उसको पक्षकार बनाने से आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नही बनाने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(IX)–अपीलाधीन आदेश मे प्रभावित खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा सरहद मुण्डवा मे 1/3 हिस्से का हिस्सेदार खातेदार सीताराम था जिसने बख्सीसनामा / दान पत्र के आधार पर अपना संपूर्ण हिस्सा दिनांक 16.1.78 को परसाराम के पक्ष मे लिखकर पंजीबद्व करवा दिया था। जो अपील व दावे से पूर्व करवा दिया था तथा अपीलांटस ने कुचेष्टा पूर्वक सीताराम का हिस्सा हडपने की नियत से अपील पेश की तथा सीताराम द्वारा अपने जीवनकाल मे ही अपना संपूर्ण हिस्स परसाराम के पक्ष मे दान/बख्सीस कर देने से इसमे अन्य किसी सहखातेदार व भाई बंधु का हिस्सा नही बनता है तथा उसके आधार पर उसने आगे बेचान कर नामान्तरकरण तस्दीक करवा दिया गया जिसमे विधि की किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही रही है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(X)–अपीलांटस ने अपील सं. 206/18 मे तहसीलदार मुण्डवा द्वारा प्रकरण सं. 30/18 कायम कर संबंधित पक्षकारो को सुना जाकर एवपं उनको नोटिस दिया जाकर सीताराम पुत्र पूनाराम के नाम जो नामान्तरकरण गोदनामा बाबत तस्दीक किया गया वो बाद जांच बाद सुनवायी, बाद साक्ष्य अपना आदेश पारित किया गया जो विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया। जिसमे अपीलांटस का कोई हक हिस्सा प्रभावित नही होता है न ही वो उसमे आवश्यक पक्षकार था इसलिये उसको सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित नही था अगर उक्त पत्रावली के आदेश से अपीलांटस व्यथित था तो उसकी अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे होती है ऐसी अपील नही की है। इसलिये उक्त पत्रावली के आदेश को आधार मानकर अपील पेश की गई जो क्षेत्राधिकार के बाहर होने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(XI)–अपीलाधीन आदेश के तहत संबंधित गोदनामा, बख्शीसनामा दान पत्र विक्रय पत्र इत्यादि का अंकन करते हुए अपीलांटस ने अपील पेश की है तथा विक्रय पत्र के संबंध मे सुशीला बनाम परसाराम सिविल वाद सं. 130/18 सिविल जज नागौर व वाद सं. 188/18 मनीराम बनाम धर्माराम सिविल जज नागौर तथा राजस्व वाद सहायक कलक्टर मुख्यालय मे विचाराधीन है ऐसी स्थिति मे अपील मे किसी प्रकार का हिस्सा आधार व हक नही माना जा सकता है। अपील केवल मात्र फिस्कल प्रोसिडिग है। जिसमे किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत नही लिया जाता है तथा वाद विचाराधीन होने की स्थिति मे कानूनी रूप से अपील चलने योग्य नही है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज की जावे।

{3}(XII)–अपील मे किसी प्रकार का आधार मानकर आदेश प्रदान किया जाता है तो वो वाद की बाहुल्यता बढेगी एव राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय मे चल रहे वाद प्रभावित होगे ऐसी स्थिति मे अपील को कानूनी प्रावधान उच्च न्यायालयो के सिद्वान्त के आधार पर चलना नही माना है तथा अपील मे निर्णय करने की बाध्यता के सिद्वान्त प्रतिपादित कर अपील को रोकने व अपास्त करने के सिद्वान्त प्रतिपादित किया है। इस आधार पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(XIII)–अपीलाटस द्वारा किसी भी विक्रय पत्र गोदनामा बख्सीसनामा इत्यादि को सक्षम न्यायालय मे चेलेन्ज नही किया गया है इससे साफ जाहिर है कि अपीलांटस साफ हाथो से एवं स्वच्छ अपील पेश नही की गई है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह कर रेस्पो. पर दबाव डालकर येनकेन प्रकारेण सीताराम का जो हिस्सा परसाराम को विधि अनुसार प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करने की कुचेष्टा की गई है इस आधार पर भी अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{4}–वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपीलांट्स की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट्स का कोई हक, हिस्सा प्रभावित नहीं हेता है। अपीलांट का हिस्सा तय करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है।

अपर कलक्टर, नागौर

{5}– राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{6}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3367 दिनांक 23.03.2018 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है। जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय मे चाराजोही की जानी चाहिये।

{7}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{8}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर